

मह-६/७/६ - कठोर देवी 18/2021

दिनांक आज्ञा पत्र

11.10.21

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसो.उपरिष्ठ
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 50 अफ...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक... 8.12.21
को पेश हो।

8.12.21

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसो.उपरिष्ठ
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 50 अफ...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक... 9.3.22
को पेश हो।

9.3.22

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेसपोर्ट की तामील भेष है।
इस हेतु अपील रेसपोर्ट के रजिस्टर्ड नोटिस
आज ही पेश होने पर जारी हो। ताकि
अपील का निस्तारण किया जा सकें
पत्रावली वारत तलबी रिकार्ड दिनांक... 8.6.22 को
पेश हो।

8.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसो.उपरिष्ठ
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 50 अफ...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक... 27.9.22
को पेश हो।

27.9.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसो.उपरिष्ठ
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 50 अफ...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक... 29.9.22
को पेश हो।

29.09.22

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोर्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेसपोर्ट के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेरल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो।

शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधिकारी
सीकर (कैम्प सुन्दर)

